REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

पाधिकार से पकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	58]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 11, 2019/माघ 22, 1940
No.	58]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 11, 2019/MAGHA 22, 1940

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं. 12-11/2010-केहोप(पार्ट-II)(1).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,1973 (1973 का 59वॉ) की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 33 के खंड (झ), (ञ) तथा (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम. डी. (होम.) विनियम, 1989 को आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात:—

 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम०डी०(होम०) संशोधन विनियम, 2019 होगा।

(2) ये भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

 होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम.) विनियम, 1989 में, विनियम 7 में, शब्द "अनुसन्धान प्रविधि एवं जैव-सांख्यिकी तथा औषध का इतिहास" जहाँ भी आये, के लिए शब्द "अनुसन्धान प्रविधि एवं जैव-सांख्यिकी" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

डॉ. आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार सह सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./537/18]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के असाधारण राजपत्र, भाग- III, खंड -4 में 12-18/89-CCH दिनांक 16 नवंबर,1989 को प्रकाशित तथा तत्पश्चात निम्न संशोधन किये गए :

- 1. सं. 12-3/91-केहोप दिनांक 22 फरवरी, 1993;
- 2. सं. 12-3/91- केहोप (पार्ट) दिनांक 05 नवम्बर, 2001;
- 3. सं. 12-2/2006- केहोप (पार्ट) दिनांक 05 मार्च, 2012;

929 GI/2019

4. सं. 12-11/2010- केहोप (पार्ट) दिनांक 28 मार्च, 2016 तथा

5. सं. 12-11/2010- केहोप (पार्ट- II) (1) दिनांक 14 दिसम्बर, 2018।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No.12-11/2010-CCH(Pt.II)(1).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 read with sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989 namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989, in regulation 7, for the words "Research Methodology and Bio-statistics and History of Medicine" wherever they occur, the words "Research Methodology and Bio-statistics" shall be substituted.

Dr. ASHIS DATTA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./537/18]

- **Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, **vide** No.12-18/89-CCH, dated the 16th November, 1989 and were subsequently amended *vide*
 - 1. No.12-3/91-CCH, dated the 22nd February, 1993;
 - 2. No.12-3/91-CCH(Pt.), dated the 5th November, 2001;
 - 3. No.12-2/2006-CCH(Pt.), dated the 5th March, 2012;
 - 4. No.12-11/2010-CCH(Pt.), dated the 28th March, 2016; and
 - 5. No.12-11/2010-CCH(Pt.II)(1), dated the 14th December, 2018.